



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1038]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2015/वैशाख 28, 1937

No. 1038]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2015/VAISAKHA 28, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2015

का.आ. 1319 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 2425(अ) तारीख 18 सितंबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(3)	श्री अतुल हसमुखराय मेहता, अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के निर्देशिती	सदस्य, [धारा 210क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
------	---	---

[फा. सं. 1/5/2001-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2425(अ) तारीख 18 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2015

S.O. 1319(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, number S.O. 2425(E), dated the 18th September 2014, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 18th September 2014 namely:—

In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

“(3)	Shri Atul Hasmukhrai Mehta, President, Nominee of the Institute of Company Secretaries of India,	Member, [nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 210A].”
------	--	--

[F. No. 1/5/2001-CL-V]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2425(E), dated the 18th September, 2014.